

## हरियाणा वधानसभा में पारित वधियक

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा वधानसभा ने हरियाणा कृषि भूमि पट्टा वधियक 2024, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) वधियक 2024, हरियाणा वनियोग (संख्या 3) वधियक 2024, हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) वधियक 2024 सहित विभिन्न वधियक पारित किये हैं।

### मुख्य बटु

- **हरियाणा कृषि भूमि पट्टा वधियक 2024:**
  - **उद्देश्य:** भूमि मालिकों के अधिकारों की रक्षा और भूमि उपयोग को अनुकूलित करने के लिये कृषि भूमि पट्टों को वैध बनाने हेतु एक ढाँचा स्थापति करना।
- **समस्याएँ:**
  - भूमि मालिक लखित पट्टा समझौते से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि पट्टेदार उनसे अधिभोग अधिकार मांग सकते हैं।
  - अलखित पट्टे, पट्टेदारों को प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत प्राप्त करने या फसल ऋण प्राप्त करने से रोकते हैं।
- **अपेक्षित प्रभाव:**
  - भूमि मालिकों और पट्टेदारों दोनों को लाभ पहुँचाने के लिये औपचारिक पट्टा समझौतों को प्रोत्साहित किया जाता है।
  - इसका उद्देश्य बंजर भूमि को कम करके कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना है।
  - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) वधियक 2024:
- **धारा 23 में संशोधन:**
  - **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023** की धारा 23 विभिन्न मजसिद्रेटों के सज़ा देने के अधिकार की रूपरेखा बताती है।
  - यह प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और मुख्य न्यायिक मजसिद्रेट द्वारा दी जाने वाली सज़ा के प्रकार और सीमाओं को नरिदषिट करता है।
  - धारा 23(2) के तहत प्रथम श्रेणी मजसिद्रेट के लिये अधिकतम जुर्माना 50,000 रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कया गया।
  - धारा 23(3) के तहत जुर्माने की सीमा 10,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई।
    - उच्चतर जुर्माने की व्यवस्था **परकराम्य लखित अधिनियम 1881** जैसे अधिनियमों के तहत उन मामलों के अनुरूप है, जहाँ चेक की राशि पूरव सीमा से अधिक होती है।
    - बढ़ाए गए जुर्माने **मोटर वाहन अधिनियम, 1988** के तहत संशोधित यातायात जुर्माने के अनुरूप हैं।
  - **उद्देश्य:** नविरण को मज़बूत करना तथा जुर्माने की सीमा को वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप बनाना।
- **हरियाणा वनियोग (संख्या 3) वधियक 2024:**
  - **उद्देश्य:** 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वत्तीय वर्ष में सेवाओं के लिये राज्य की समेकित नधिसे अतरिकित भुगतान और वनियोग को अधिकृत करता है।
- **हरियाणा माल एवं सेवा कर (संशोधन) वधियक 2024:**
  - **आधार:** GST परषिद की सफारशियों और **वत्तित अधिनियम, 2024** के तहत **केंद्रीय GST अधिनियम, 2017** में संशोधनों को दर्शाता है।
  - **उद्देश्य:** कर प्रशासन को बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय GST वनियमों के साथ एकरूपता और संरेखण सुनश्चिति करना।

# भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023

BNSS ने CrPC 1973 को प्रतिस्थापित किया है और इसमें 531 धाराएँ हैं जिनमें 177 धाराएँ संशोधित की गईं, 9 नई धाराएँ जोड़ी गईं और 14 धाराएँ निरस्त की गई हैं।



## मुख्य प्रावधान

- न्यायालयों का पदानुक्रम: मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेटों की विशिष्टता और भूमिका को समाप्त कर दिया गया
- इलेक्ट्रॉनिक मोड का अनिवार्य उपयोग: जाँच, पूछताछ और परीक्षण के चरणों में
- विचाराधीन कैदियों की हिरासत: गंभीर अपराधों के आरोपियों के लिये व्यक्तिगत जमानत पर रिहाई को प्रतिबंधित कर दिया है।
- गिरफ्तारी का विकल्प: किसी आरोपी को गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं है; इसके बजाय यदि आरोपी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने में विफल रहते हैं, तो पुलिस सुरक्षा जमानत की मांग कर सकती है।
- सामुदायिक सेवा की परिभाषा: 'वह कार्य जिसे अदालत किसी दोषी को सजा के रूप में करने का आदेश दे सकती है, जिससे समुदाय को लाभ होता है, उसके लिये वह किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा।'
- शब्दावली का प्रतिस्थापन: अधिकांश प्रावधानों में "मानसिक बीमारी" का स्थान "विकृत चित्त" ने ले लिया है
- दस्तावेज़ीकरण प्रोटोकॉल: वारंट के साथ/बिना तलाशी के लिये अनिवार्य ऑडियो-वीडियो दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता होती है, जिसमें रिकॉर्ड की गई सामग्री तुरंत मजिस्ट्रेट को सौंपी जाती है
- प्रक्रियाओं के लिये समयसीमा: विभिन्न प्रक्रियाओं के लिये समयसीमा निर्धारित करता है
  - जैसे बहस के बाद 30 दिनों के भीतर फैसला जारी करना
- चिकित्सा परीक्षण: कुछ मामलों में किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा अनुरोध किया जा सकता है
- नमूना संग्रह: मजिस्ट्रेट नमूना हस्ताक्षरों या लिखावट (specimen signatures) आदेशों से आगे बढ़कर, उन व्यक्तियों से भी, जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उनकी उंगली के निशान और आवाज़ के नमूने एकत्र करने की शक्ति प्रदान करता है।
- फोरेंसिक जांच:  $\geq 7$  वर्ष की कैद वाले दंडनीय अपराधों के लिये अनिवार्य
- FIR पंजीकरण के संबंध में नई प्रक्रियाएँ:
  - ज़ीरो FIR दर्ज करने के बाद, संबंधित पुलिस स्टेशन को इसे आगे की जाँच के लिये क्षेत्राधिकार के अनुसार उपयुक्त स्टेशन में स्थानांतरित करना होगा
  - FIR इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की जा सकती है और जानकारी आधिकारिक तौर पर 3 दिनों के भीतर व्यक्ति के हस्ताक्षर पर दर्ज की जाएगी
- पीड़ित/सूचनाकर्ता के अधिकार
  - पुलिस को आरोप पत्र दाखिल करने के बाद पीड़ित को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज़ उपलब्ध कराने होंगे।
  - राज्य सरकार द्वारा गवाह सुरक्षा योजना निर्धारित की जाएगी



## प्रमुख मुद्दे

- शुरुआती 40 या 60 दिनों के भीतर 15 दिनों की पुलिस हिरासत की अनुमति दी गई है
- यह पुलिस हिरासत की मांग करते समय जाँच अधिकारी को कारण बताने का आदेश नहीं देती है
- उच्चतम न्यायलय के फैसलों और NHRC दिशानिर्देशों के विपरीत, गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी के उपयोग की अनुमति देती है
- एकाधिक आरोपों के मामले में अनिवार्य जमानत का दायरा सीमित है
- भारत में प्ली बार्गेनिंग को सेंटेंस बार्गेनिंग तक सीमित करता है
- संपत्ति जब्त करने की शक्ति का विस्तार चल संपत्ति के अलावा अचल संपत्ति तक भी किया गया है
- कई प्रावधान मौजूदा कानूनों से मेल खाते हैं
- BNSS2 सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव से संबंधित CrPC प्रावधानों को बरकरार रखता है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या परीक्षण प्रक्रियाओं और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को एक ही कानून के तहत विनियमित किया जाना चाहिये या अलग से संबोधित किया जाना चाहिये।



Drishti IAS

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/bills-passed-in-haryana-assembly>

